

## राष्ट्रीय कृषि प्रसार नीति : एक परिचय

तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, भारतीय कृषि पर बोझ बढ़ा रही है तो भारतीय कृषि को विश्व परिदृश्य में आर्थिक उदारीकरण, भूमण्डलीकरण एवं विश्व बाजारीकरण की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। विश्व में प्रतियोगिता के बाजार ने भौगोलिक सीमा का अन्त कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय कृषि को अधिक उत्पादनशील एवं कृषि उत्पाद को गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्यवर्द्धक बनाना आवश्यक हो गया है ताकि विश्व बाजार में हम अपनी पहचान बना सकें।


भारत सरकार द्वारा नई कृषि नीति के अन्तर्गत अगले बीस वर्षों तक कृषि विकास दर को 4 प्रतिशत से अधिक रखने की बात कही गई है। इसके लिए ठोस कृषि अर्थव्यवस्था की स्थापना करने पर जोर दिया जा रहा है, जो देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सके। किसानों का आर्थिक विकास एवं जीवन स्तर में सुधार एवं गाँवों से पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार सृजित करने की रणनीति बनाई जा रही है। कृषि को व्यवसायिक तथा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दक्षतापूर्ण दोहन करते हुए कृषि का सर्वांगिक विकास की बात नई कृषि नीति में कही गई है। घरेलू एवं विश्व बाजार के मांग आधारित एवं निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फसलों का चुनाव तथा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता जताई गई है। किसानों तथा कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहले तो सभी किसान भाइयों, कृषि प्रसार कर्मियों तथा अनुसंधानकर्मियों को अपने मानसिकता एवं काम करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि नई राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत कृषि प्रसार प्रणाली में भी व्यापक परिवर्तन हो रहा है।

कृषि प्रसार प्रणाली में क्या परिवर्तन हो रहा है इसे जानने से पहले वर्तमान कृषि प्रसार प्रणाली को जानना जरूरी है।

### वर्तमान कृषि प्रसार प्रणाली

वर्तमान कृषि प्रसार प्रणाली में अनुसंधानकर्मी एवं कृषि वैज्ञानिक अपने ढंग से प्रयोगशाला में अनुसंधान कर नई तकनीकी ज्ञान का विकास कर रहे हैं और कुछ प्रयोगों के बाद इसे अनुशासित कर देते हैं। प्रसारकर्मी इस तकनीकी ज्ञान को किसानों तक पहुँचाते हैं। किसान इस तकनीकी ज्ञान का उपयोग अपने खेतों में करते हैं। किसानों के खेत में कुछ तकनीक सफल होते हैं और कुछ असफल भी। तकनीकों के सफलता या असफलता के कारणों की जानकारी एवं किसानों की प्रतिक्रिया वापस अनुसंधानकर्मियों या कृषि वैज्ञानिकों को दी जाती है, ताकि वे आवश्यकतानुसार तकनीक में परिवर्तन कर सकें।

इसे निम्न रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है



यही वर्तमान कृषि प्रसार प्रणाली का संक्षिप्त स्वरूप है। इस कृषि प्रसार प्रणाली को काफी हद तक सफल माना जा सकता है क्योंकि इसी के बदौलत हरित क्रांति लाया जा सका है और देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका है। लेकिन, साथ ही कुछ मुख्य कमियाँ वर्तमान कृषि प्रसार प्रणाली की हैं जो निम्नलिखित हैं -

### वर्तमान कृषि प्रसार प्रणाली की कमियाँ

1. स्थानीय लोगों या किसानों की सहभागिता की कमी
2. किसानों की माँग या जरूरतों की अनदेखी
3. किसानों को दी जा रही तकनीकों का स्थानीय विशेष नहीं होना
4. एक तरफा कृषि प्रसार
5. कृषि प्रसार का लक्ष्य सिर्फ उत्पादन आधारित होना
6. सरकारी कृषि प्रसारकर्मियों पर ही निर्भरता
7. किसानों से व्यक्तिगत सम्पर्क में कमी

उपर्युक्त कमियों को दूर करने के लिए नये कृषि प्रसार पद्धति का विकास किया गया है। वर्तमान में देश के सभी राज्यों एवं झारखण्ड प्रदेश के आठ जिलों में एक्सटेंशन रिफॉर्मस योजना के अन्तर्गत आत्मा मॉडल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इनके मानव संसाधन विकास, दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तर पर समेति तथा कार्यों के मुल्यांकन के लिए मुख्यालय कोषांग की व्यवस्था है।

नये कृषि प्रसार प्रणाली क्या है इसकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी जा रही है :

### नई कृषि प्रसार प्रणाली

विश्व परिदृश्य में परिवर्तन के परिपेक्ष्य में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई साथ ही कृषि प्रसार प्रणाली में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए नये कृषि प्रसार प्रणाली को अधिक प्रभावशाली तथा तीव्रगामी बनाने का कोशिश किया गया है। इसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं :

1. नई कृषि प्रसार प्रणाली में किसानों को पूर्णरूप से सहभागी बनाया गया है। योजनाओं का निर्माण किसानों द्वारा ग्रामीण स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी प्रसारकर्मियों, कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभागों के पदाधिकारियों, वैज्ञानिकों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से बनाया जाएगा। आत्मा मॉडल के हर स्तर पर किसानों का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की गई। योजनाओं का निर्माण से लेकर योजनाओं के कार्यान्वयन तक हर स्तर पर किसानों की अहम भूमिका सुनिश्चित की गई।

2. नई कृषि प्रसार नीति के अन्तर्गत अनुसंधान एवं प्रसार को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जा रहा है ताकि स्थानीय परिवेश के अनुकूल अनुसंधान एवं प्रसार को बढ़ावा मिले तथा इसका व्यापक प्रसार हो सके। साथ ही बेरोजगार कृषि स्नातकों को एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें तथा ग्रामीण स्तर पर कृषि प्रसार को भी मजबूती प्राप्त हो। निजी कम्पनियों में कार्यरत प्रसार कर्मियों को जो कृषि तथा प्रसार विज्ञान से अनजान हैं उन्हें भी कृषि प्रसार शिक्षा दिया जा रहा है ताकि वे सुचारू तथा प्रभावशाली तरीके से कृषि प्रसार का कार्य कर सकें।
3. नई कृषि प्रसार प्रणाली में कृषि प्रसार, अधिक उत्पादन सह बाजार आधारित होगा। फसलों का चुनाव स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय बाजार की मांग को देखते हुए तय किया जाएगा तथा किसानों को उक्त फसलों के खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। किसानों को बाजार आत्मा द्वारा सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं एवं कम्पनियों के सौजन्य से उपलब्ध कराया जाएगा।
4. बहुत से गैर सरकारी संस्थाओं एवं कम्पनियों द्वारा भी कृषि प्रसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नई कृषि प्रसार प्रणाली में जितने भी सरकारी एवं गैर सरकारी कृषि प्रसारकर्मी हैं उन्हें आत्मा के माध्यम से एक मंच में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सरकारी कृषि प्रसारकर्मियों की कम संख्या तथा उनकी व्यस्तता को दूर किया जा सके और प्रसार कार्य को गति दिया जा सके।
5. कृषि विभाग तथा अन्य सम्बद्ध विभाग जैसे- पशुपालन, मत्स्य, तसर विभाग सभी अपने स्तर से एवं अपने तरीके से किसानों के लिए योजनाएं चला रहे हैं। सभी सम्बद्ध विभागों को आत्मा एक मंच प्रदान करेगी और वे सम्मिलित रूप से किसानों के लिए काम करेंगे।
6. नई कृषि प्रसार प्रणाली में कृषकों के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। सशक्तिकरण हेतु फसल उत्पादक, सब्जी उत्पादक, पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, मत्स्य पालक, रेशम उत्पादक इत्यादि जैसे जितने भी कृषक गाँवों में मौजूद हैं उनका अलग-अलग संगठन बनाया जाएगा।
7. किसानों में योजनाओं के प्रति अपनेपन की भावना जागृत करने के लिए उनके कामों के लिए जैसे बीज, खाद, कृषि उपकरण या प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए उनसे उनके क्षमता अनुसार पैसा लिया जाएगा तथा मुफ्त में कुछ भी नहीं दिया जाएगा।
8. सूचना प्रौद्योगिकी का व्यवहार - विभिन्न स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी/जन संचार माध्यमों को बढ़ावा देना, कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जन संचार माध्यमों का वृहत एवं सकारात्मक व्यवहार, देशी भाषा में कृषि संवादों का विस्तार/

प्रसार, सूचना प्रौद्योगिकी / जन संचार माध्यमों से उत्पादनों में किसानों की सहभागिता, निजी क्षेत्र की सहभागिता द्वारा प्रखण्ड स्तर पर कृषि सूचना एवं सलाहकार केंद्रों (एफ.सी.आई.) प्रखण्ड स्तर के नीचे सूचना दुकानों की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवहार हेतु क्षमता विकास, सैटेलाइट तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

9. संसाधन संग्रहण एवं वित्तीय स्थायित्व : लघु/सीमांत किसानों, जोखिम उन्मुख/उपेक्षित क्षेत्रों के कृषि विकास में सरकार सम्पोषित प्रसार सेवाओं की महती भूमिका, कृषि विकास में सरकार सम्पोषित प्रसार सेवाओं एवं कृषि सलाहकारों के दल जो एक तरफ वैज्ञानिकों के सम्पर्क में और दूसरी तरफ किसानों के सम्पर्क में रहने की भूमिका, प्रसार पर खर्च को प्रभावी बनाने में सहायक हो सकेंगे, निजी क्षेत्र का प्रसार सेवाओं में व्यापक प्रयोग हेतु उचित वातावरण का निर्माण, सरकारी प्रसार सेवाओं के लिए किसानों एवं कृषक एवं सरकारी प्रक्षेत्रों के लिए रिवाँल्विंग निधि की व्यवस्था, अर्द्ध प्रसार कार्यकर्ताओं को कृषक समूहों द्वारा भुगतान, प्रसार सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान निहित होगा।
10. सरकार की बदलती भूमिका।
11. गुणवत्तापूर्ण प्रबोधन एवं नियंत्रण सुनिश्चित करना।
12. निजी क्षेत्र में कार्यरत प्रसार सेवा प्रदान करने वालों को दिशा निर्देश एवं समन्वयन प्रदान करना, स्वस्थ प्रतियोगी/प्रतिभागी वातावरण का निर्माण, कृषक संगठनों एवं निजी उद्यमियों को फसल कटनी के उपरान्त एवं मूल्य संवर्धन सेवाओं में मदद करना, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत प्रसार कार्यकर्ताओं / संस्थाओं को सहायक आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्रों में कार्यरत प्रसार कार्यकर्ताओं / संस्थाओं को सहायक आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना।
13. किसानों, सरकारी और गैरसरकारी प्रसारकर्मियों, कृषि से संबंधित विभागों के पदाधिकारियों, वैज्ञानिकों तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को कृषि प्रसार प्रणाली में हो रही परिवर्तनों से परिचित कराना अति आवश्यक होगा या परिचित कराना होगा।

### कृषि प्रसार प्रणाली में सुधार

निकट भविष्य में देश के हर जिले में “आत्मा” मॉडल लागू होने की संभावना है। और सारा कृषि विकास कार्य नई कृषि प्रसार प्रणाली द्वारा ही सम्पन्न होना है। भारतीय परिवेश में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह कार्यक्रम जो “बॉटम ऑफ एग्रोच” में कार्य करती है, यानि ग्रामीण स्तर पर किसान अपने आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर कार्यक्रम तैयार करते हैं, जिसे सभी विभाग के सम्बंधित पदाधिकारी मिलकर तकनीकी सहयोग किसानों को प्रदान करते हैं।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय परियोजना-तर्गत प्रायोजित परियोजना “सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रीफॉर्म” का उद्देश्य वर्तमान प्रसार प्रबन्ध को सशक्त बनाने हेतु नई संगठनात्मक व्यवस्था एवं परिचालन कार्यविधियों की मार्गदर्शी जांच करना ही नहीं है, बल्कि इसका प्रथम मूल लक्ष्य जिला स्तर पर ‘कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण’ की स्थापना करके निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। दूसरा लक्ष्य कृषकों की भागीदारी से कार्यक्रम की योजना एवं साधनों के आवंटन में विशेषकर प्रखण्ड स्तर पर सभी भागीदारों के उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। तीसरा मुख्य कार्यक्रम समन्वय एवं एकीकरण को बढ़ाना है, ताकि कृषि प्रणाली में नवीनता, कृषक संगठनों, प्रौद्योगिकी अन्तर को कम करने के कार्य एवं प्राकृतिक साधन एवं प्रबंध कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावशाली एवं दक्षतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।

### आत्मा मॉडल की सम्पर्क प्रक्रिया

वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसंधान-प्रसार-कृषक सम्पर्क प्रक्रिया को इस केन्द्र प्रायोजित परियोजना के अधीन लागू की गई हैं:-

#### 1. राज्यस्तरीय

(क) अन्तर विभागीय कार्यदल : कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव (कृषि) की अध्यक्षता में “राज्य स्तरीय अन्तर विभागीय कार्यदल” का कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, भू-संरक्षण, पंचायती राज जैसे विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा आई.सी.ए.आर. संस्थानों के माध्यम से प्रभावशाली समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु गठित किया गया है। यह दल कृषि तथा लाईन विभागों में राज्य, मंडल तथा जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण में एकीकृत दृष्टिकोण की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा। यह आत्मा के द्वारा की जाने वाली प्रसार एवं अनुसंधान की गतिविधियों की निगरानी एवं सहयोग तथा अन्तर विभागीय मामलों में नीतिगत मध्यस्थता करने का कार्य करेगा। इस कार्यदल की कम से कम तीन महीनों में एक बार बैठक होगी। आत्मा जिलों के परियोजना की गतिविधियों के मुल्यांकन एवं मार्गदर्शन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव(कृषि) की अध्यक्षता में निदेशक(कृषि) के कार्यालय में एक परियोजना कार्यान्वयन कोषांग की स्थापना की गई है। निदेशक(कृषि) को मुख्यालय कोषांग का स्टेट नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।

(ख) राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति) : स्वायत्तशासी संस्था “समेति” जो मिनी मैनेज का प्रारूप है। जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि से जुड़े प्रसार कर्मियों में प्रबंधकीय क्षमता एवं मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना तथा उन्हें राष्ट्रीय कृषि नीति के अन्तर्गत नवीन कृषि प्रसार प्रणाली एवं नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराना है। आत्मा संस्थान के परियोजना के कार्यान्वयन एवं तकनीकी मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तर पर समेति को प्राधिकृत किया

गया। आत्मा के सहयोग से ग्रामीणों की सहभागिता, देशज एवं आधुनिक तकनीक के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कृषक एवं कृषि प्रसार कर्मियों में नेतृत्व, प्रबंधन एवं प्रसार कार्यों में निखार लाना समेति का मुख्य ध्येय है।

आत्मा संस्थान की आवश्यकता एवं मांग पर आधारित ग्रामीण स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय, जिला स्तरीय एवं राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, दिग्-विन्यास कार्यक्रम, कार्यशाला एवं अन्तर राजकीय स्थल भ्रमण का आयोजन का राज्यस्तर पर संचालन की जिम्मेदारी समेति की है। इसके अन्तर्गत आत्मा जिलों के आत्मा संस्थान, कृषि एवं सम्बद्ध (लाईन) विभाग जैसे - कृषि, उद्यान, भूमि संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, रेशम, लाह आदि, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार निदेशालय को एक सूत्र में बांधकर राज्यस्तर पर कृषि प्रबंधन एवं प्रसार तकनीक को समेति द्वारा बढ़ावा देना है। समेति के निदेशक संस्थान के प्रधान होते हैं एवं प्रधान सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त पदेन अध्यक्ष होते हैं। कृषि निदेशक, उद्यान निदेशक, भूमि संरक्षण निदेशक, स्थानीय आई. सी. ए. आर. संस्थान एवं कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं निदेशक (शोध एवं प्रसार) से गठित "एक्सक्यूटिव काउंसिल" द्वारा समेति के उद्देश्यों एवं नीतिगत निर्णयों का राज्य स्तर पर निर्धारण होता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त निधि का राज्यस्तर पर आवंटन हेतु समेति राज्यस्तरीय स्वायत्तशासी संस्था को प्राधिकृत किया गया है।

## 2. जिला स्तरीय :

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) : इसके संचालन के लिए आत्मा शासकीय निकाय गठित होगी और जिले के उपायुक्त निकाय के पदेन अध्यक्ष होंगे। शासी परिषद् जिले के विभिन्न कृषक उद्यमों के प्रतिनिधि एवं समस्त भागीदारों के 16 सदस्यों से गठित होती है। यह नीति तैयार करने तथा सलाह देने एवं आत्मा के कार्यों की समीक्षा करने वाली निकाय है। यह भागीदार इकाईयों के द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की गई सामरिक वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा तथा उनका अनुमोदन करेगी। यह जिला में भागीदार इकाईयों को उनकी आवश्यकतानुसार विभिन्न अनुसंधान तथा प्रसार गतिविधियों जो उनके द्वारा की जा रही है के विषय में फीडबैक एवं निर्देश उपलब्ध करेगी। यह निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाओं तथा कृषक संघों को, कृषकों के उपादान, तकनीकी सहयोग, कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन सेवाओं को उपलब्ध कराने में उनकी अधिक भागीदारी को सुगम करेगी। आत्मा शासी परिषद् प्रत्येक तीन महीनों में एक बार बैठक करेगी। यह सार्वजनिक कृषि प्रौद्योगिकी प्रणाली के दिन प्रतिदिन के प्रबन्ध में विकेन्द्रीकरण करने तथा अनुसंधान एवं प्रसार गतिविधियों में एकीकरण के लिए प्रत्येक मार्गदर्शी जिले में एक कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार गतिविधियों में सम्पर्क एवं समन्वय रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

नवीं पंचवर्षीय योजना अधीन 'एनटीपी' अन्तर्गत शुरुआती दौर पर पायलट टेस्टिंग के रूप में पूरे देश के छः राज्यों- आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं बिहार में इस कार्यक्रम को लागू किया गया। बिहार विभाजन के पश्चात् झारखण्ड सहित देश के सात राज्यों के 28 जिलों में यह कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत "एक्सटेंशन रिफॉर्म" परियोजना के माध्यम से पूरे देश के सभी राज्यों के कुल 258 जिलों में आत्मा मॉडल चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत झारखण्ड प्रदेश के आठ जिलों में आत्मा की स्थापना की गई है। इनके मानव संसाधन विकास, दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तर पर समेति तथा कार्यों के मुल्यांकन के लिए मुख्यालय कोषांग की स्थापना की गई है।

### आत्मा क्या है?

आत्मा एक स्वायत्तशासी संस्था है, जो जिला अन्तर्गत सतत् कृषि विकास से सम्बंधित कृषि गतिविधि की मुख्य कुंजी है। यह एक लोक कृषि तकनीकी प्रबंधन कार्य हेतु दैनिक समेकित अनुसंधान प्रसार गतिविधि एवं हस्तांतरण की मुख्य कड़ी है। यह एक स्वायत्तशासी निबंधित संस्था होने के नाते प्राप्ति एवं खर्च, परियोजना निधि का खर्च, निविदा एवं एकरारनामा तथा चलित लेखा को शुल्क के रूप में संग्रहीत कर लेखा संधारण की क्षमता रखता है।

आत्मा जो जिले में समेकित अनुसंधान एवं प्रसार गतिविधि तथा लोक कृषि पद्धति का दैनिक प्रबंधन का संप्रसारण है, यह जिला स्तर पर कृषि एवं सहायक विभाग तथा अनुसंधान संस्थान के अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थान से सम्बंधित जिला स्तरीय तकनीकों की सम्प्रसारण के लिए उत्तरदायी है।

### आत्मा क्यों?

आत्मा जिला स्तर पर कृषि संप्रसारण गतिविधि के लिए उत्तरदायी है। यह कृषि एवं सम्बद्ध विभाग, अनुसंधान संस्थान, स्वयंसेवी संस्थान तथा जिला स्तर पर कृषि विकास के सहयोगी संस्थान से संबंध रखता है। इस परियोजना अन्तर्गत जिले के कृषि एवं विस्तार जैसे - क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र/उपकेन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि सम्बंधित मुख्य विभाग यथा पशुपालन, उद्यान, भूमिसंरक्षण, रेशम तथा मत्स्य विभाग इसके कार्य की परिधि में आता है। जिला स्तर पर प्रत्येक इकाई जो अनुसंधान एवं विस्तार की संस्थानीय पहचान, कार्यक्रम की रूपरेखा तथा गतिविधि के निर्धारण, जिला स्तर पर आत्मा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन एवं तदनु रूप तथा आत्मा प्रबंधन समिति द्वारा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

### आत्मा किसके लिए है?

आत्मा जिले में ग्रामीण स्तर पर किसानों के मानसिक विकास तथा तकनीकी ज्ञान को विकसित करते हुए सामूहिक रूप से गुणवत्ता के साथ अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए प्रशिक्षण, परिदर्शन तथा आवश्यकतानुसार सामूहिक प्रत्यक्षण, कृषक

समूहों के मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप सहभागिता के आधार पर किसानों के लिए क्रियान्वित किया जाता है। यह पूर्णतः किसानों के सहभागिता पर आधारित किसानों का कार्यक्रम है। आत्मा स्थानीय कृषकों के बीच उत्प्रेरक का कार्य करती है।

### आत्मा का उद्देश्य :


किसानों की आवश्यकता पर आधारित अनुसंधान से सम्बंधित वैज्ञानिकों की कार्यक्षमता एवं जागरूकता में वृद्धि। पारदर्शिता हेतु तकनीकी सहभागिता तथा सामूहिक कृषि हेतु तकनीकी प्रबंधन एवं संगठनात्मक जागृति। सरकारी पदाधिकारी एवं विस्तार पदाधिकारी में समन्वय स्थापित। एक स्थान से किसानों के विभिन्न समस्याओं का निदान (सिंगल विन्डो) एवं किसानों के आत्म बल में वृद्धि। किसानों में सामूहिक खेती, सामूहिक रूप से प्रबंधन एवं अन्य कार्य का विकास। ग्रामीण स्तर पर किसानों द्वारा कार्य योजना तैयार करना। ग्रामीण स्तर से जिला स्तर तक किसानों का संगठन विकसित करना।

### कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण ( आत्मा ) के लक्ष्य एवं कार्य -

आत्मा जिले के निम्न लक्ष्य एवं कार्य के प्रति उत्तरदायी है -

1. प्रत्येक गाँव के लिए विकसित की गई फसल प्रणालियों एवं संभाव्य कृषि पद्धति के आधार पर किसानों की मूलभूत एवं तत्कालिक आवश्यकताओं की पहचान करना है।
2. फसल प्रणालियों को अत्यधिक उत्पादन योग्य बनाना एवं गुणात्मक कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं संबंधित कृषि विकास के लिए प्रथम प्राथमिकताओं का निर्धारण।

### आत्मा का संगठनात्मक स्वरूप





3. कृषि, वन, मत्स्य, उद्यान, रेशम, कृषि अभियंत्रण एवं अन्य कृषि से संबंधित विभागों, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यमों से किसानों की वर्तमान एवं भविष्य के बाजारोन्मुख विकास के लिए किसानों की सहायता से तथा उनके लिए योजनाओं को बनाना तथा निष्पादन करना।
4. जिले में अवस्थित अथवा समीप के कृषि विज्ञान केंद्र एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से कृषि की नवीनतम तकनीकों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचारित-प्रसारित करना, कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा राज्य स्तरीय तकनीकी विभागों के माध्यम से समन्वय बनाना तथा बढ़ाना।
5. कृषकों/उत्पादकों की योजनाओं, विपणन प्रौद्योगिकी, प्रसार तथा कृषि संस्करण आदि में किसानों के संघों का संगठन (जैसे बीज उत्पादक समूह, सब्जी उत्पादक समूह आदि के संगठन) बनाना तथा सहकारिता आदि के माध्यम से समूह को उत्पादोन्मुख एवं रोजगारोन्मुख बनाना।
6. कृषि एवं फार्म उत्पादों की मूल्य बढ़ोतरी तथा किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए विपणन मध्यस्थता को सुगम बनाना।
7. कृषि प्रणालियों के आधार पर नवीनतम कृषि अनुसंधान एवं प्रसार को एकीकृत कर योजना तैयार करना, स्वदेशी ज्ञान के आधार पर अनुसंधान की उचित प्रक्रिया का सृजन करना।
8. किसानों की भौतिक, वित्तीय तथा प्राकृतिक संसाधनों को आधार मानकर किसानों में गुणवत्ता की बढ़ोतरी के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से पर्याप्त तकनीकी विकास एवं बैंकिंग संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मार्ग को सुनिश्चित करना, परियोजना को प्राप्त निधि व व्यय के लिए चक्रीय खातों के माध्यम से अनुबंधों तथा समझौतों को करना तथा लाभार्थी एवं सहयोगी किसानों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
9. धन को अनुदान पर प्राप्त करना, प्रतिभूतियों या किसी किस्म की सम्पत्ति तथा किसी सावधि का प्रबंध, संचालन, न्याय विधियाँ या दान जो आत्मा के उद्देश्यों के साथ असंगत न हो, को ऐसी शर्तों व दशाओं में स्वीकार करना जिसे भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई हों तथा आत्मा के उद्देश्यों के साथ मेल खाती हो।
10. आत्मा के शोध एवं प्रसार कार्यों से जुड़े सरकारी एवं गैर सरकारी प्रसारकर्मी, वैज्ञानिकों, कृषक एवं स्वयंसेवी संगठनों को समेति एवं मैनेज के माध्यम से मानव संसाधन को बढ़ावा देना।

### गाँव ( कृषक समूह ) :

दस से बीस संख्या तक के किसानों का एफ.आई.जी. समूह का गठन जिसमें सब्जी उत्पादकों का समूह, खाद्यान्न उत्पादकों का समूह, दलहन उत्पादकों का समूह, पुष्प उत्पादकों का समूह, पशुपालन समूह, तसर पालकों का समूह एवं रेशम उत्पादकों का समूह आदि का समावेश।

## कार्य :

समूह में कार्य करने हेतु सामूहिक रूप से बैठकर कार्य योजना तैयार करना तथा तैयार कार्ययोजना को सफलता पूर्वक क्रियान्वित करना।

## पंचायत ( क्लस्टर ) :

एक पंचायत में पड़ने वाले सभी गाँवों में तैयार उपरोक्त विभिन्न प्रकार के तैयार समूहों के द्वारा आम सहमति से प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक-एक प्रतिनिधि का पंचायत स्तर के लिए एफ. आई. जी. द्वारा मनोनित किया जाता है।

## कार्य :

गाँव में तैयार समूहों के समस्याओं के समाधान हेतु कृषक सलाहकार समिति को अग्रसारित करना। जो समूह अच्छा कार्य कर रहा हो उसे प्रोत्साहित करना। कृषक सलाहकार समिति से समन्वय स्थापित कर समूहों के मांग के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित करना। एक समूह से दूसरे समूह के बीच में समन्वय स्थापित कराना।

## कृषक सलाहकार समिति :

औपचारिक फीडबैक प्रक्रिया को उपलब्ध कराने हेतु कृषक सलाहकार समिति गठित की जाएगी। इसका गठन प्रखण्ड के कृषक समूहों तथा सभी मुख्य भागीदारों के प्रतिनिधियों से होगा। यह प्रखण्ड की प्राथमिकताओं के निर्धारण तथा विभिन्न कार्यक्रम के लिए साधनों के आवंटन में सहायता करेगी। यह समितियाँ प्रखण्ड स्तर पर प्रत्येक कार्यरत इकाई को सलाह उपलब्ध करने के साथ-साथ कार्यों की समीक्षा भी करेगी। इसका अध्यक्ष कृषक प्रतिनिधियों में से एक-एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुचक्रम के आधार से चुना जाएगा। इसकी महीने में दो बार बैठक होगी।


प्रत्येक पखवाड़े में एक बार प्रखण्ड तकनीकी दल के साथ बैठक कर अगले पखवारे की कार्ययोजना बनाना तथा गतिविधियों की समीक्षा करना। इस समिति की सदस्यता एक साल तक होगी तथा अगले वर्ष पुनः उस प्रखण्ड के सभी उद्यमों के प्रतिनिधियों से नई समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रखण्ड तकनीकी दल के साथ निकट संबंध रखते हुए वार्षिक प्रखण्ड कार्य योजना को बनाने एवं उसके क्रियान्वयन का कार्य करेगी। इस समिति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देना होगा जो किसानों के एक बड़े वर्ग से संबंध रखती हो, न कि व्यक्तिगत समस्याओं का निष्पादन करना। यह समिति अपने प्रखण्ड की सफल कहानियों, कृषि प्रयोगों एवं देशज परम्परागत ज्ञान की पहचान एवं उनकी ग्रहणता बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी। यह समिति किसानों की अनुसंधान, प्रसार एवं विपणन सम्बन्धी समस्याओं को आत्मा प्रबन्ध समिति तक पहुँचाने के लिए सतत् प्रयास करेगी। किसान सलाहकार समिति के सदस्य समय-समय पर अपने तकनीकी ज्ञान के उन्नयन हेतु प्रयासरत रहेंगे, ताकि वह समय पड़ने पर इसे अन्य किसानों के बीच प्रसारित कर सकें। यह समिति

निचले स्तर के प्रसार कार्यकर्ताओं के साथ लगातार सम्पर्क में रहते हुए समय-समय पर सहयोग एवं परामर्श देगी। यह समिति अपने प्रखण्ड में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से कृषक संगठनों को बढ़ावा देगी तथा उनके निर्माण में सहयोग करेगी।

### कृषक समूह / दल / गुप :

गांव स्तर पर कृषक समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा गांव स्तर के समूह जिला एवं प्रखण्ड स्तर के समुदाय संघों, विपणन सहकारी समितियों तथा दूसरे प्रकार के कृषक संघों में शामिल होंगे। गांव स्तर पर कृषक हित समूह तथा कृषक संघ प्रखण्ड कार्य योजना के तैयार करने में प्रभावशाली रूप से शामिल होंगे। ये संगठन प्रदर्शन, प्रक्षेत्र, ऑन फार्म एवं अनुकूल प्रत्यक्षणों के आयोजनों को समन्वय तथा प्रसार एवं अनुसंधान की फीडबैक करेंगे। इसके प्रतिनिधि सीधे रूप से प्रखण्ड स्तर की किसान सूचना एवं सलाहकार समिति तथा आत्मा की शासी परिषद् में शामिल होंगे। आत्मा की शासी परिषद् जिले में एक या एक से अधिक गैर सरकारी संगठन का चुनाव करेगी तथा परियोजना निधि से उसकी सहायता के लिए तथा विभिन्न किस्म के कृषक समूह बनाने में सहयोग करेगी।

पूरे प्रखण्ड में विभिन्न प्रकार (जैसे- पुष्प, सब्जी, खाद्यान्न, मत्स्य, रेशम, कुकूट, सुकर, बकरी आदि) के तैयार समूहों के द्वारा आम सहमति से प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रखण्ड स्तरीय सलाहकार समिति हेतु दो-दो कृषक प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है तथा चयनित प्रतिनिधियों के द्वारा कृषक सलाहकार समिति के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।



### कार्य :

विभिन्न प्रकार के समूहों का समिति के द्वारा प्राप्त कार्यक्रम का अध्ययन कर उसके अनुरूप कार्य योजना को तकनीकी सुझाव हेतु विमर्श करना। समूहों द्वारा किये जा रहे कार्यों का अवलोकन करना। समूह या कलस्टर से प्राप्त समस्याओं का समाधान ढूँढना। सिंगल विन्डो पद्धति को विकसित करने में सहयोग प्रदान करना। तकनीकी विमर्श उपरांत प्रखण्ड स्तरीय कार्य योजना को जिला स्तरीय आत्मा प्रबंधन समिति को अग्रसारित करना।

## प्रखण्ड तकनीकी दल ( बी.टी.टी. ) :

प्रखण्ड स्तरीय कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, भूमि संरक्षण तथा रेशम विभाग के पदाधिकारी इसके सदस्य होते हैं। उपरोक्त किसी भी विभाग के पदाधिकारी तकनीकी दल के संयोजक होते हैं।


### कार्य :

तकनीकी दल के सदस्यों को एफ.ए.सी. से प्राप्त कार्यक्रम का अध्ययन कर तकनीकी सुझाव उपलब्ध कराना। एफ.ए.सी. के निदेशानुसार तय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्पादित करना। समूह एवं संगठन के तकनीकी समस्या का समाधान करना। प्रखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक का प्रचार करना। पूरे तकनीकी दल का सामूहिक रूप से कलस्टर तथा प्रखण्ड स्तरीय बैठक में भाग लेना।

## प्रखण्ड स्तरीय कृषक सूचना सलाहकार समिति एवं केन्द्र ( एफ.आई.ए.सी. ) :

कृषक सलाहकार समिति (एफ.ए.सी.) तथा प्रखण्ड स्तरीय तकनीकी दल (बी.टी.टी.) दोनों यहाँ एक साथ बैठकर विचार-विमर्श कर समस्या का निदान करते हैं। कार्यक्रम को संचालित करते हेतु एन.ए.टी.पी. परियोजना अन्तर्गत जिला के प्रत्येक प्रखण्ड परिसर में एक कृषक सूचना सलाहकार केन्द्र ( भवन) का निर्माण किया गया जो पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत होता है, जिसमें किसानों की आवश्यकताओं की सभी सुविधाएँ उपलब्ध रहती है।

### प्रखंड स्तरीय कृषक सलाहकार सूचना केन्द्र




## कार्य :

नई तकनीक का प्रचार-प्रसार करना। गाँवों से प्रखण्ड स्तर तक संगठनात्मक ढाँचा विकसित करना। प्रखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में समूहों के माँग के अनुरूप कार्य को क्रियान्वित करना। बी.टी.टी के अतिरिक्त अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना। महिलाओं के भागीदारी को सुनिश्चित करना। किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं से अवगत कराना। पूँजी के लिए बैंक से समन्वय स्थापित करना। प्राप्त कार्यक्रम को जिला स्तरीय समिति के पास अवलोकन एवं सुझाव हेतु अग्रसारित करना।

उपरोक्त कार्यक्रम की समीक्षा हेतु नियमित रूप से मासिक बैठक सम्पन्न की जाती है।

## आत्मा प्रबंधन समिति :

आत्मा प्रबंधन समिति जिला स्तर पर कृषि एवं सम्बद्ध विभागीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र / कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयं सेवी संस्थान तथा दो कृषक प्रतिनिधियों की एक समिति है। जिसके अध्यक्ष आत्मा के परियोजना निदेशक होते हैं।



## कार्य :


प्रखण्ड स्तरीय एवं क्लस्टर स्तरीय समिति को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना। किसानों के समस्या का समाधान कर कृषक सूचना सलाहकार केन्द्र को उपलब्ध कराना। समय-समय पर प्रखण्ड स्तरीय समिति का अवलोकन करना तथा आवश्यकतानुसार सुझाव

देना। सरकार के विभिन्न योजनाओं से कृषक सूचना सलाहकार समिति को अवगत कराना। किसानों के सबलीकरण एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रखण्ड स्तर तथा ग्रामीण स्तर पर जागृति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। एक प्रखण्ड के कृषक सलाहकार समिति से दूसरे प्रखण्ड के कृषक सलाहकार समिति के बीच समन्वय स्थापित करना। कृषक सूचना सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त कार्य योजना का अध्ययन के उपरांत सुझाव के साथ आत्मा शासकीय निकाय को अग्रसारित करना।

### आत्मा शासकीय निकाय :

आत्मा शासकीय निकाय जो प्रबंधन समिति के अनुशंसा पर सहभागिता के आधार पर कार्य करती है। आत्मा शासकीय निकाय आत्मा कार्यों की प्रगति की समीक्षा एवं कार्यकलाप के अलावे नीति निर्धारक एवं मार्गदर्शक है। इसके पदेन अध्यक्ष जिला के उपायुक्त होते हैं।

#### आत्मा शासकीय निकाय



### कार्य :

आत्मा के लिए तैयार नियमों का पालन। प्राप्त प्रस्ताव की स्वीकृति देना। प्रखण्ड स्तरीय वार्षिक कार्य योजना जो प्रबंधन समिति से अग्रसारित किया जाता है, उसे स्वीकृति प्रदान करना। किसानों के खेत पर अनुसंधान के लिए निधि उपलब्ध कराना। वित्तीय नियंत्रण रखना। समय-समय पर वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। समय-समय

पर कृषक सूचना सलाहकार समिति की समीक्षा कर सुझाव उपलब्ध कराना। जिला स्तरीय किसान फेडरेशन के गठन हेतु उत्प्रेरक का कार्य करना। सभी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। आत्मा के आर्थिक स्थायित्व हेतु विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाकर निधि संग्रह करना। वित्तीय लेखाओं का समय पर अंकक्षण कराकर भारत सरकार को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।

## आत्मा की कार्य प्रणाली

योजना बनाना तथा वित्तीय प्रक्रिया :

आने वाले मौसम में की जाने वाली प्रसार तथा कृषक प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए फार्म सूचना तथा सलाहकार समिति अपने प्रखण्ड कार्य योजना एवं बजट तैयार करेगी। समन्वय की ये योजनायें जिले की सामरिक अनुसंधान एवं प्रसार योजना में उल्लेखित मुख्य विवशताओं तथा कमजोरियों का जरूर समाधान करें, यदि इनके लिए आत्मा द्वारा निधि दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तर के लिए प्रस्तावित प्रसार गतिविधियों के समन्वय के लिए तथा इन प्रस्तावों को किसान सूचना एवं सलाहकार समिति की समीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगी। किसान सूचना एवं सलाहकार समिति से इस प्रस्तावों की अनुमति प्राप्त होने के बाद में ये आत्मा को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी सूचना एवं सलाहकार समिति का अध्यक्ष संयुक्त रूप में इन प्रसार योजनाओं को आत्मा की शासी परिषद् के अनुमोदन से पूर्व आत्मा की प्रबंधन समिति को प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी कार्यक्रम के विषय में आत्मा की प्रबंधन समिति तथा किसान सूचना एवं सलाहकार समिति में कोई मतभेद या सहमति नहीं होगी तो आत्मा की शासी परिषद् द्वारा इसे सुलझाया जायेगा।

एक बार जब प्रखण्ड कार्य योजना शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दी जायेगी तब आत्मा के परियोजना निदेशक प्रत्येक प्रखण्ड के कृषि पदाधिकारी को अनुमोदित प्रसार कार्यक्रमों को करने हेतु आवंटित बजट को बैंक के द्वारा जारी करेगा। प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी बैंक खाता रखने तथा किसान सूचना एवं सलाहकार समिति के अनुमोदित प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधि आवंटन करेगा। सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी तथा किसान सूचना तथा सलाहकार समिति के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से जारी किये जायेंगे। ऑफिसर इंचार्ज सम्पूर्ण वित्तीय रिकार्ड को रखने जैसे अनुमोदित प्रसार गतिविधियों पर व्यय की गई राशि की रसीदें आदि के लिए जिम्मेवार होगा। यदि कोई सहमत प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय तथा निष्पादन का रिकार्ड आत्मा को प्रस्तुत नहीं करेगी तो निधि के प्रवाह को निलम्बित कर दिया जायेगा।

## निधि प्रक्रिया :

आत्मा को परियोजना निधि के उपयोग के प्रचलन में लचीलापन प्राप्त है। इससे जिला स्तर पर योजना की गतिविधियों को अपनाने में भागीदारों इकाईयों की सम्मति से अप्रकट वृतांत के उत्तर में जैसा आवश्यक हो, करने की आशा की जाती है। जिला प्रसार योजना ढांचे में सम्मिलित की गई गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निधि को जारी करने के लिए आत्मा की “प्रबन्ध समिति” प्राधिकृत होगी। इसके अतिरिक्त हर भागीदार को अलग से खाता/उपखाता रखना होगा। जिसकी लेखा-परीक्षा मान्यता प्राप्त ऑडिटर से करवाने के उपरान्त आत्मा प्रबन्ध समिति को प्रतिपूर्ति दावे के साथ भेजा जाएगा।

## कार्यवाही प्रक्रिया :

किसान सूचना एवं सलाहकार समिति के सभी सदस्य अपने-अपने लाईन विभाग के ही निरन्तर कर्मचारी होंगे, लेकिन वे जिले के सामरिक अनुसंधान एवं प्रसार योजना के मुख्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में आनेवाली रूकावटों को दूर करने तथा प्रसार कार्यक्रम के समन्वय व क्रियान्वयन हेतु प्रखण्ड तकनीकी दल के रूप में कार्य करेंगे। ये सदस्य मुख्य रूप में दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रमों तथा किसान सूचना एवं सलाहकारी समिति के सदस्यों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे एवं समिति के सदस्यों को प्रत्यक्षण लगाने, प्रशिक्षण शिविरों में कृषकों को शिक्षित करने, प्रक्षेत्र दिवस मनाने तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों में सहायता करेंगे। इस प्रस्तावित नये प्रबंधों का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत या एक खिड़की प्रसार प्रणाली की रचना करना है।

आत्मा का लक्ष्य होगा कि सामरिक अनुसंधान एवं प्रसार योजनाओं (एस.आर.ई.पी.) की सहयोग के लिए तथा प्रखण्ड कार्य योजना क्रियान्वयन के लिए इन केंद्रीय, राजकीय तथा जिला की निधियों में से ज्यादा निधि का उपयोग प्रदर्शन, प्रसार सहयोग तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में हो। कृषक सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके किसान सूचना एवं सलाहकार समिति निर्णय करेगी कि इन विकास की गतिविधियों (विशेषकर कृषि एवं उद्यान) को प्रखण्ड स्तर पर चल रहे प्रसार कार्यक्रमों को सहयोग द्वारा और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

प्रखण्ड एवं क्षेत्र प्रसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित संरचनात्मक व्यवस्था में जिला स्तर पर प्रसार गतिविधियों के लिए आत्मा वित्त की विकेंद्रीय प्रक्रिया को तामील में लाएगी। कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन की कुंजी प्रखण्ड स्तरीय समिति की स्थापना पर निर्भर करती है जो प्रखण्ड के अन्दर विनिर्दिष्ट एग्री एकोलोजिकल जोन के प्रसार कार्यक्रम को उचित राह देगी। जो प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड कार्य योजना के विकास में कृषकों की हिस्सेदारी की ओर ज्यादा प्रभावशाली ढंग से गतिमान कर सकती है। यही वह स्तर है जहां पर स्वयं सहायता समूह, कृषक हित समूह तथा प्रखण्ड स्तर की कृषक संघों को सीधे रूप में प्रखण्ड स्तर पर कृषक सलाहकार समिति में शामिल किया जा सकता है।



## एन. ए. टी. पी. (आई. टी. डी.) घटक अन्तर्गत आत्मा जिलों के बढ़ते कदम

नवीं पंचवर्षीय योजना के एन.ए.टी.पी. परियोजना के आई.टी.पी. घटक अन्तर्गत भारत के सात राज्यों के 28 (अठारह) जिलों में आत्मा मॉडल चलाया गया। सौभाग्य से झारखण्ड देश का सातवां राज्य है, जिसके चार जिलों क्रमशः दुमका, प. सिंहभूम, जामताड़ा एवं पलामू में पायलट परियोजना के रूप में चलाया गया। यह केन्द्र सरकार की परीक्षण के तौर पर मार्गदर्शी परियोजना थी। आत्मा जो विकेन्द्रीकरण के आधार पर बॉटम ऑफ एग्रोच पर कार्य करती है।

**आत्मा के स्थापना पूर्व जिले में कृषि प्रसार की स्थिति:**

राज्य के चार जिलों में आत्मा के स्थापना पूर्व जिले के विभिन्न प्रखण्डों के लगभग सभी पंचायतों में वर्षा पर आधारित एक फसलीय उत्पादन अर्थात् केवल धान की खेती की जाती थी। किसानों के बीच यह मान्यता थी कि धान के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला कृषि कार्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े लगभग 5 प्रतिशत मात्र किसानों को उन्नत प्रभेदों एवं पोषक तत्व प्रबन्धन की जानकारी थी। कृषकों को फसल कीट एवं रोग से रोकथाम की जानकारी नहीं थी और ग्रामीण पुराने तरीके से फसल नुकसान कम करने की कोशिश करते थे।

सिंचाई जल रहते हुए भी रबी में फसल अच्छादन कम था। रबी में किसानों द्वारा कुछ खास स्थान तथा घर के नजदीक तौरी, सरसों, गेहूँ, आलू, बैंगन, टमाटर आदि फसलों की नाम मात्र खेती की जाती थी।

प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर कृषि एवं सम्बन्धित विभागों तथा कृषकों एवं लाइन विभागों में समन्वय की कमी थी। साथ ही ग्रामीणों में सामाजिक चेतना, जागृति एवं जानकारी की नितांत कमी थी। कृषि विविधिकरण के विभिन्न विधाओं जैसे - उद्यान, भूमि संरक्षण, पशुपालन (डेयरी), बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य, रेशम एवं लाह आदि की क्षेत्रों में अच्छादन एवं इनके प्रसार की नितांत कमी थी।

**आत्मा का शोध एवं प्रसार संबंधी प्रयास :**

इस परियोजना की सफलता से अभिप्रेरित होकर भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के एक्सटेंशन रिफोर्स परियोजना अधीन जुलाई 2005 से राज्य के अन्य 4 जिलों क्रमशः गढ़वा, चतरा, हजारीबाग एवं सरायकेला-खरसावां जिलों में भी आत्मा मॉडल की स्थापना की गई है। अभी तक कृषि, वानिकी, मत्स्य, पशुपालन, रेशम एवं सहकारिता से संबंधित जितनी भी तकनीकी प्रसार की योजना देश में चलायी गयी थी उनमें केन्द्रीय स्तर पर ऊपर से ही केन्द्रीयकृत परियोजना बना करता था और जहाँ किसानों की भागीदारी नगण्य थी। इस परियोजना की एक विशेषता यह है कि इसमें किसानों की भागीदारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन आत्मा जिलों में इस परियोजना के तहत सबसे पहले

सर्वाधिक समस्याग्रस्त गांवों को चुना गया तथा किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, किसानों के द्वारा समस्या का चयन कर कृषि एवं संबंधित विषयों पर तकनीकी प्रशिक्षण का कार्य शुरू की गई।

आत्मा द्वारा जिले में जिला स्तर से प्रखण्ड एवं गांव स्तर तक कृषि विविधिकरण क्षेत्र में शोध एवं प्रसार संबंधी अनेकों प्रयास किए गए। ग्रामीण स्तर पर पुरुष एवं महिला का प्रभाववार जैसे - कृषि, पशुपालन, भूमि संरक्षण, मत्स्य, रेशम, तसर, उद्यान एवं लाह से संबंधित समूहों को ग्रामीणों द्वारा ही गठित कराई गई। गांव स्तर पर गठित फारमर्स इंटेरेस्ट ग्रुप समूहों द्वारा निर्वाचित एडवाइजरी कमेटी (एफ. आई. ए. सी.) का सदस्य नामांकित किया गया, जिसमें प्रखण्ड तकनीक टीम (बी. टी. टी.) के भी सदस्य मौजूद थे। इससे संबंधित तकनीकी पदाधिकारी एवं प्रसार कार्यकर्ताओं से सीधे किसानों का सम्पर्क हुआ। एफ. आई. ए. सी. का अध्यक्ष चयनित कृषक होते हैं, जिसके प्रत्येक माह नियमित बैठकों से किसानों को सभी विभागों के कार्यकलापों की जानकारी होने लगी और इसका सीधा एवं प्रत्यक्ष लाभ किसानों को मिलने लगा।

जिला स्तर पर परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठित आत्मा प्रबंधन समिति की माहवार एवं मौसमवार बैठकों में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं कृषक प्रतिनिधि ने भाग लिया। इसमें प्रखंडों से एफ.आई.ए.सी. स्तर से प्रस्तावित कार्यक्रमों को तकनीकी अनुशांसा के साथ आत्मा शासकीय निकाय के अनुमोदनार्थ भेज देते थे। इससे जिलास्तरीय तकनीकी पदाधिकारी एवं कृषक प्रतिनिधियों के आपसी परामर्श से तकनीकी सुझावों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सरल होने के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिली। आत्मा जिले के किसानों को आवश्यकता पड़ने पर जिलास्तरीय पदाधिकारियों से सीधा लाभ मिलने लगा। आत्मा से जुड़े कृषकों में जागृति आई और वे निर्भिक होकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजने लगे, जिससे कृषि प्रसार में बदलाव दिखने लगा।

जिलास्तर पर आत्मा का सर्वोच्च निकाय "आत्मा शासकीय निकाय" का गठन किया गया। जिले के उपायुक्त पदेन अध्यक्ष, उपविकास आयुक्त उपाध्यक्ष तथा आत्मा के परियोजना निदेशक सदस्य सचिव रहने के कारण सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों के बीच सीधा सम्पर्क बढ़ा और कृषक प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यक्रमों की जानकारी का लाभ सुदूर गांव में रहने वाले कृषकों तक पहुंचा।

जिले में अवस्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कृषकों का अन्तरमिलन, सामुहिक प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगा। राज्य स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय, हार्प, प्लाण्डु एवं आई. एल. आर. आई. के सहयोग से तकनीकी शिविर, प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के आयोजन से कृषकों के बीच कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार को बढ़ावा मिला।

वैज्ञानिकों को कृषकों के खेत तक ले जाकर उनकी समस्या जैसे - कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान, लाह, रेशम एवं तसर उत्पादन तकनीक को प्रत्यक्षण के माध्यम प्रदर्शित करने से आत्मा से संबंधित विभिन्न समूहों में जागरूकता आई।

आत्मा द्वारा पुरुष एवं महिला के विभिन्न समूहों को कृषि प्रौद्योगिकी तकनीक की प्रायोगिक ढंग से जानकारी हेतु देश के कई राज्यों - हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि स्थानों का स्थल भ्रमण कराया गया। इससे किसानों में जागृति आई तथा उन्होंने नई तकनीक को अपनाना प्रारंभ कर दिया।

आत्मा द्वारा समेति, झारखंड एवं मैनेज, हैदराबाद के माध्यम से सरकारी, गैर सरकारी एवं स्थानीय अनुसंधान संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रसार कार्यों में सहयोग, संस्थाओं के कर्मियों के साथ दिग्विन्यास कार्यक्रम, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं स्थल भ्रमण के आयोजन से जिला स्तर पर कृषि प्रसार को बल मिला।

पोस्टर एवं पत्रिका के माध्यम से कृषि तकनीकों, आत्मा गतिविधियों, किसानों की सफलता को प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से प्रसार एवं रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से आत्मा के कार्यों के प्रसारण के प्रयासों को जिलास्तर पर कृषकों में अनुकूल असर पड़ा है।

**आत्मा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कठिनाईयाँ :**

जिला स्तर पर आत्मा कार्यक्रम को धरातल पर लाने के क्रम में कई कठिनाईयाँ आईं। जिले के कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के बीच आपसी समन्वय एवं सहयोग की नितांत कमी थी। जहाँ एक ओर किसानों में अभिरूची, जागृति एवं जानकारी का आभाव था वहीं दूसरी ओर गांवों में भ्रमण के लिए कृषि प्रसार कर्मियों की कमी एवं विद्यमान प्रसार कर्मियों में गुणवत्ता की कमी थी। वहीं जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय कर्मियों में समन्वय की भारी कमी थी। प्रखण्ड स्तर पर कृषि प्रसार कर्मियों में कृषि प्रसार को छोड़ अन्य प्रशासनिक कार्यों के प्रति विशेष लगाव था। जिला स्तर पर प्रसार- कर्मी एवं पदाधिकारियों के कम अन्तराल में स्थानान्तरण से कृषि प्रसार पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

### आत्मा के प्रयासों से कृषि प्रसार में बदलाव किसान संगठन

झारखण्ड स्थित कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण संस्थानों द्वारा जिले में स्थानीय परिवेश के अनुकूल तकनीकी शोध एवं प्रसार गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए 50 क्लस्टर, 22 प्रखण्ड स्तरीय एवं 40 जिलास्तरीय किसान संगठन गठित की गई, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :

#### आत्मा जिलान्तर्गत किसान संगठन की स्थिति

क्र.स	संगठन का स्तर	आत्मा संस्थान का जिला			
		दुमका	जामताड़ा	पश्चिम सिंहभूम	पलामू
1.	क्लस्टर	23	08	15	4
2.	प्रखण्ड स्तरीय	10	04	06	2
3.	जिलास्तरीय	01	01	01	01

### किसान सलाहकार समिति के समूह

प्रत्येक प्रखण्ड में बीस से अधिक कृषक अभिरूचि समूह बनाये गये हैं तथा प्रत्येक कृषक अभिरूचि समूह में किसानों की संख्या 10 से 20 रखी गई। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर 200 किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राज्य में आत्मा द्वारा कल 1137 समूह निर्मित की गई, जिसकी विवरणी निम्नांकित है:-

### आत्मा जिलान्तर्गत किसान सलाहकार समिति के स्थापित समूह

आत्मा संस्थान का जिला					
क्र.स	समूह का नाम	दुमका	जामताड़ा	पश्चिम सिंहभूम	पलामू
1.	कृषि	124	43	52	21
2.	उद्यान				
	(क) फल	27	08	19	06
	(ख) सब्जी	85	12	25	07
	(ग) फूल	11	01	05	05
	(घ) मशरूम	02	12	08	02
	(ङ) औषधीय एवं सुगंधित	03	13	14	04
3.	रेशम एवं तसर	71	26	-	-
4.	पशुपालन				
	(क) सुकर	7	-	-	-
	(ख) डेयरी	27	12	17	07
	(ग) मुर्गीपालन	44	42	19	12
	(घ) बकरीपालन	20	10	07	05
	(ङ) मत्स्य	36	07	10	-
5.	भूमि संरक्षण	-	41	-	-
6.	लाह उत्पादन	-	30	-	-
7.	वर्मी कम्पोस्ट	40	06	11	05
8.	पी. ए. टी. / मूल्यवर्द्धन	03	-	02	-
9.	मधुमक्खी पालन	25	-	05	-
10.	महिला	30	07	15	04
11.	अन्य	15	03	03	04
12.	योग	570	273	212	82

प्रत्येक कृषक अभिरूचि समूह में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार महिला कृषक अभिरूचि समूह का भी गठन किया गया। कृषक सहायता समूह बनाते समय यह ध्यान रखा गया की एक सामाजिक स्तर के लोग एक समूह में रहें जिससे सभी की भागीदारी समान रूप से प्रत्येक समूह में रहे।

आत्मा के प्रयासों से भूमि के वर्गीकरण के अनुसार फसलों के आच्छादन में वृद्धि हुई। खाद्य फसलों के साथ-साथ दलहन, तेलहन एवं आधुनिक फसलों के आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार हुआ एवं नई एवं उत्तम किस्मों के बीज के साथ-साथ समेकित पोषक, रोग एवं कीट प्रबंधन से प्रति हेक्टर उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई।

आत्मा के प्रयासों से जिले के बैंक एवं नबार्ड के सहयोग से किसान क्लब एवं ग्राम-सभा का गठन, बीज ग्राम का विकास के साथ उत्पादित बीज का जिला के अंदर ही कृषकों के बीच विपणन से फसलोत्पादन में वृद्धि हुई।

कृषक समूहों का बैंकों में खाता खुलने से किसानों को बैंक से सीधे मौसमवार ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड सुलभ होने से किसानों की हालत सुधरी।

### मानव संसाधन विकास

इन कृषक समूहों को आत्मा, समेति, मैनेज, हैदराबाद एवं राज्य अवस्थित तकनीकी संस्थानों के माध्यम से उनकी आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया गया। मुर्गी पालन, मशरूम उत्पाद, मधुमक्खी पालन, वानिकी, उद्यान, फसल उत्पादन एवं पशुपालन के विभिन्न विषयों में अनगिनत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के बाद आये छः महीनों में इनके द्वारा चक्रीय खातों में आमदनी के प्रदर्शन के आधार पर सहकारिता के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये गए। जिससे इनके कृषि कार्यों में सुधार आया। साथ ही साथ इन ऋणों का आसान किस्तों में प्रदत्त बैंकों को इसकी वापसी सुनिश्चित की गई। यानि किसानों के समूह का रुपयों पर मालिकाना हक मिला तथा वहीं प्रत्येक तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत उनके द्वारा चलाये जा रहे कृषि उत्पाद की बिक्री कर आपस में बराबरी के लाभ किसान प्राप्त करने लगे।

कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के कर्मियों में आपसी सहयोग एवं समन्वय तथा आत्मा के सौजन्य से समेति-मैनेज के माध्यम से प्रदत्त मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के उपरांत ज्ञान एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। जिनके प्रयासों से ग्रामीणों एवं कृषकों में अभिरूची का विकास हुआ। ग्रामीण कृषक कृषि कार्यों के अतिरिक्त कृषि के अन्य क्षेत्रों जैसे- पशुपालन, मत्स्यपालन, रेशमपालन, तसर पालन, लाह-उत्पादन, सब्जी, फल-फूल एवं औषधीय पौधों की खेती की ओर अभिप्रेरित हुए।

प्रदेश के चार आत्मा संस्थानों द्वारा कृषि विविधिकरण आधारित विभिन्न विषयों पर कुल 1981 प्रशिक्षण/कार्यशाला के कार्यक्रम आयोजित हुई, जिससे 85,902 कृषक/प्रसारकर्मी लाभान्वित हुए। प्रशिक्षणों एवं लाभान्वितों की सविस्तार विवरणी निम्न प्रकार है:-

आत्मा संस्थानों द्वारा आयोजित कृषि विविधिकरण आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विवरणी

आत्मा संस्थान का जिला									
क्र.स	कृषि विविधिकरण	दुमका		जामताड़ा		पश्चिम सिंहभूम		पलामू	
		संख्या	लामान्वित	संख्या	लामान्वित	संख्या	लामान्वित	संख्या	लामान्वित
1.	कृषि	465	18970	66	9415	415	14375	56	1958
2.	उद्यान	64	3170	28	1556	51	1768	10	389
3.	पशुपालन	70	3395	30	1462	59	2016	8	310
4.	मत्स्य	62	3110	16	1132	50	1715	—	—
5.	भूमि संरक्षण	69	3350	17	454	52	1787	—	—
6.	रेशम / तसर	115	3950	05	504	65	2280	—	—
7.	लाह	10	1395	04	250	30	1096	—	—
8.	मधुमक्खी पालन	21	1715	—	—	—	—	—	—
9.	इनफोरमेशन टेक्नॉलोजी (कम्प्यूटर)	24	836	08	240	5	150	2	70
10.	अन्य	87	2584	02	117	15	383	—	—
11.	योग	987	42475	176	15130	742	25570	76	2727

आत्मा जिलों के सामरिक अनुसंधान एवं प्रसार योजना

आत्मा जिलान्तर्गत स्थानीय परिवेश के अनुकूल कृषि, उद्यान, भूमि संरक्षण, रेशम, लाह, पशुपालन, मत्स्य एवं वानिकी आदि क्षेत्र में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की ओर अग्रसर है। यह जिले के किसानों की समस्याएँ, क्षमताएँ एवं कमजोरियाँ के निदान हेतु समाधान के विकास के अवसर पर आधारित जिलास्तरीय कार्ययोजना सामरिक अनुसंधान एवं प्रसार योजना अर्थात् “एस.आर.ई.पी.” के अनुरूप शोध एवं प्रसार कार्यक्रम चलाता है। राज्य के आत्मा जिलों की एस.आर.ई.पी. के अनुरूप शोध कार्यों की प्रगति नीचे दी जा रही है :

जिला स्तर पर चिन्हित सामरिक अनुसंधान एवं प्रसार कार्ययोजना की प्रगति

आत्मा जिला	शोध-प्रसार हेतु विषय की पहचान	शोध-प्रसार विषय में प्रगति	के. वी. के./जेड.आर.एस.के साथ
दुमका	23	09	09
जामताड़ा	20	08	...
पलामू	22	03	03
प. सिंहभूम	29	14	14

## शोध-प्रसार समन्वय में प्रगति

समेति निदेशक एवं नोडल ऑफिसर (एनएटीपी-बी.ए.यू.) के प्रयासों एवं मार्गदर्शन में आत्मा जिलों में कृषि विविधिकरण क्षेत्रों में शोध एवं प्रसार के बीच समन्वय की कड़ी को काफी बढ़ावा मिला है। राज्य के चार आत्मा संस्थानों का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र/कृषि विज्ञान केंद्र एवं जिले के प्रसार कार्यों से जुड़े लोगों एवं पदाधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल एवं समन्वय स्थापित हुआ है।

### आत्मा जिलों के शोध-प्रसार कार्यक्रमों की प्रगति

क्र.सं	शोध -प्रसार कार्यक्रम	दुमका	जामताड़ा	पलामू	पश्चिम सिंहभूम
1.	कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम	987	422	62	472
2.	प्रशिक्षण प्राप्त किसान	42475	10,805	1639	25,570
3.	किसानों/पदाधिकारियों का स्थल भ्रमण	27	32	04	11
4.	स्थल भ्रमण में सम्मिलित किसान / पदाधिकारी	695	440	66	269
5.	प्रक्षेत्र प्रत्यक्षण की संख्या	525	251	168	264
6.	प्रक्षेत्र प्रत्यक्षण से लाभान्वित किसान	525	1085	168	384
7.	प्रक्षेत्र दिवस	24	56	12	57
8.	प्रक्षेत्र दिवस से लाभान्वित किसान	3195	1415	160	1530
9.	कुल प्रक्षेत्र कार्यक्रम	26418	8589	1033	1322
10.	कुल गांव शामिल	700	45	24	153
11.	कुल सफलता की कहानियाँ	19	06	06	19
12.	कृषक वैज्ञानिक अन्तर्मिलन	45	14	16	20
13.	कृषक वैज्ञानिक अन्तरमिलन से लाभान्वित कृषक	3260	1810	2240	277
14.	कृषक-बैंकर्स अन्तरमिलन	15	2	-	4
15.	कृषक-बैंकर्स अन्तरमिलन से लाभान्वित कृषक	1340	182	-	412
16.	एफ. ए. सी. - ए. जी. बी. अन्तरमिलन	4	1	-	2
17.	पशुचिकित्सा शिविर आयोजित	50	16	-	25
18.	पशुचिकित्सा शिविर से लाभान्वित कृषक	10,450	3375	2170	5750

## झारखण्ड प्रदेश में आत्मा संस्थानों की स्थापना विवरणी

नवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एनएटीपी के आईटीडी घटक अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के चार जिलों दुमका, जामताड़ा, पलामू एवं प. सिंहभूम में “आत्मा” अर्थात् कृषि प्रबंधन अभिकरण संस्थान की स्थापना की गई।

आत्मा जो जिला ग्रामीण विकास के लिए जागृति, प्रशिक्षण, परिदर्शन, सामुहिक प्रत्यक्षण, मानसिक एवं तकनीकी ज्ञान के विकास हेतु सामूहिक सहभागिता के आधार पर आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप नीति को निर्धारित एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। राज्य में चल रहे आत्मा जिलों की स्थापना संबंधी विवरणी प्रस्तुत है :

### पूर्व से चल रहे आत्मा जिलों की स्थापना संबंधी विवरणी

क्र.स	स्थापना की विवरणी	दुमका	जामताड़ा	पलामू	पश्चिम सिंहभूम
1.	पंजीयन की तिथि	अगस्त '1998	सितम्बर '2001	फरवरी '2002	मार्च '2002
2.	कार्यालय स्थापना	जनवरी '2000	सितंबर '2001	फरवरी '2002	अगस्त '2002
3.	एस.आर.ई.पी.पूर्ण होने की तिथि	मार्च '2000	जुलाई '2003	जुलाई '2003	जुलाई '2003
4.	शासकीय निकाय की स्थापना	अप्रैल '1998	सितंबर '1998	फरवरी '2002	अगस्त '2002
5.	शासकीय निकाय (कुल सदस्य)	23	23	15	14
6.	शासकीय निकाय (कुल बैठक)	18	09	06	09
7.	प्रबंधन समिति की स्थापना	अप्रैल 1998	सितंबर '2001	नवम्बर '2002	नवम्बर '2002
8.	प्रबंधन समिति (कुल सदस्य)	17	16	12	12
9.	प्रबंधन समिति (कुल बैठक)	22	08	05	09
10.	प्रखंड (कुल संख्या)	10	04	12	15
11.	प्रखण्ड तकनीकी टीम की स्थापना	जुन'1999	नवम्बर '2001	अप्रैल '2003	नवम्बर '2002
12.	प्रखण्ड तकनीकी टीम (कुल बैठक)	142	36	57	189
13.	किसान सलाहकार समिति की स्थापना	जुन' 2000	नवम्बर '2001	मार्च 2003	नवम्बर '2002
14.	किसान सलाहकार समिति (कुल सदस्य)	142	36	57	189
15.	किसान सलाहकार समुह (कुल बैठक)	460	128	172	122

राज्य अवस्थित आत्मा मॉडल जिले में किसानों के बीच उनकी समस्या के समाधान हेतु समग्र क्रान्ति के दुत के रूप उभर कर सामने आया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के कुल आठ जिलों में आत्मा मॉडल की स्थापना की गई है, जिससे राज्य में कृषि के सर्वांगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।